

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/ए-17/19/

दिनांक:-

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
सामान्य चिकित्सालय,
करौली।

विषय- अर्चना चौहान नर्स श्रेणी द्वितीय को कार्यग्रहण कराये जाने बाबत।
संदर्भ- आपका आदेश क्रमांक 458 दिनांक 15.06.2019 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि अर्चना चौहान नर्स श्रेणी-द्वितीय के निदेशालय के आदेश क्रमांक 214 दिनांक 03.03.2019 के द्वारा इनका स्थानान्तरण सामान्य चिकित्सालय, करौली से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलोदा, सवाई माधोपुर किया गया है, के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान, उच्च न्यायालय जयपुर एस.बी.सिविल अपील संख्या 7458/2019 दायर की गई है।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2019 के द्वारा उक्त आदेश पर अग्रिम आदेशों तक क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अतः माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में याचिकाकर्ता को तुरंत कार्यग्रहण करावे।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:- 28/6/19

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/ ए-17/19/903

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप विधि परामर्शी मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में यथाशीघ्र केस प्रभारी नियुक्त कर प्रकरण को खारिज कराने की कार्यवाही करावे।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन भरतपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।